न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—332/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/332)

1. भैरू सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम लाम्बा ग्राम पंचायत शेगढ, तहसील जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. लादू सिंह पुत्र श्री गील सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाम्बा ग्राम पंचायत शेरगढ तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. भू धारक तहसीलदार मसूदा, तहसील, परिसर कार्यालय मसूदा, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 राजस्व वाद संख्या 90/2024(2024/254).

उपस्थितः—

1. श्री हसन खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री वी0पी0सिंह राजावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः— 14.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 90/2024(2024/254) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.6.2024 को प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को जरिए सम्मन तलब किया तथा दिनांक 23.10.2024 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 6.11.2024 को अपीलांट का जवाब बंद करते हुए तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने का आदेश दिनांक 6.11.2024 को पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 90/2024(2024/254) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान अपीलांट द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया था किन्तु दिनांक 6.11.2024 को जवाब बन्द करते हुए उसी दिन रेस्पोडेन्ट अभिभाषक की बहस सुनकर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्त योग्य है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार ने स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसमें वर्तमान अपीलांट को उपस्थिति हेतु ना ही कोई नोटिस दिया गया ना ही अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई गयी। एक पक्षीय मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ना ही कभी अपीलांट के खेत खसरा नम्बर में से किसी प्रकार के रास्ते से आवागमन किया गया है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा झूठे कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार ने एक पक्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी। उपरोक्त एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 2097 एवं 2102 में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है, बिना अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल आधार उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका रिपोर्ट बनाया जाना तथा उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से मौका रिपोर्ट की उपस्थिति हेतु सम्मन जारी नहीं करते हुए केवल मात्र एक पक्षीय पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किए गए है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 90/2024(2024/254) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे 2021 पेज 299, आरआरटी 2016 पेज 1281, आरआरटी 2016(1) पेज 649, आरआरटी 2018–2019 स0प0 पेज 576, आरआरटी 2016(1) पेज 440 प्रस्तुत किए है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि मौजा लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा तहसील मसूदा में खसरा नम्बर 2090, 2108 की भूमियां स्थित है, जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमियां हैं जिन पर प्रार्थी अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीके से मालिक हो काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जाने का रास्ता सदियों से खसरा नम्बर 2097, 2102 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में रहा है और इन्हीं भूमियों से आता जाता रहा है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि इस रास्ते बाबत डीएलसी रेट देने को तैयार है। इस रास्ते को राजस्व अभिलेख में तरमीम करवा लेवे ताकि सुविधा हो सके परंतु अप्रार्थी संख्या 1 ने मना कर दिया। प्रार्थी ने दिनांक 26.5.2024 को उक्त रास्ते को तरमीम कराने हेतु निवेदन किया किंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतू खसरा नम्बर 2097, 2102 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अवगत करवाया कि 251 ए में कुर्रेजात रिपोर्ट के समय उभयपक्षकारों को नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022(1)आरआरटी पेज 196, 2022(1) आरआरटी पेज 556, 2024(2) आरआरटी पेज 1375, 2024/4970 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर निर्णय दिनांक 26.7.2024 प्रस्तुत किए है। उक्त नजीरों व दृष्टांतों का हमने ससम्मान अवलोकन किया लेकिन उक्त प्रकरण के तथ्य अलग है, खसरा नम्बर 2100 से मौका रिपोर्ट में रास्ता प्रस्तावित किया है लेकिन पत्रावली में इसकी जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, जबकि उक्त भूमि दोनों के बीच में स्थित है व इसके अभाव में लगातार रास्ता नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस खसरे के संबंध में निर्णय का कुछ विवेचन नहीं किया है न इस खसरे से रास्ता दिया है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खेत की दूसरी तरफ खसरा नम्बर 1342 रेकार्डेड रास्ता बताया है जो मौके पर बंद है। इस संबंध में भी स्पष्ट विवेचना नहीं की है, इसलिए उक्त दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। दिनांक 14.6.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। दिनांक 23.10.2024 को पत्रावली में अंकित है कि पी0ओ0 साहब जयपुर पधारे। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं तहसीलदार मसूदा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली आगामी दिनांक 6.11.2024 को नियत की गई। दिनांक 6.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 23.10.2024 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बिना जवाब का समुचित अवसर प्रदान किए मात्र एक ही पेशी में दिनांक 6.11.2024 को प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कहीं पर भी यह अंकन नहीं है कि उनके द्वारा अपीलांट को न्यायहित में अवसर दिया गया हो और अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हो वकालतनाम प्रस्तुत करने के मात्र एक ही पेशी पर बिना किसी संतोषजनक कारण अंकित किए अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बंद किया जाकर बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण का एकपक्षीय रूप से निस्तारण किया गया है।

पटवारी हल्का लाम्बा व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 8.7.2024 को तैयार रिपोर्ट जो कि तहसीलदार, मसूदा को दिनांक 23.10.2024 को प्रेषित की गई है। वह पूर्ण रूप से एकपक्षीय है। क्यों कि मौका रिपोर्ट बनाते समय नियम 69 की पालना करते हुए उभयपक्षकारों के समक्ष मौका कुर्रेजात रिपोर्ट सूचित करते हुए बनानी चाहिए ताकि मौके की सही स्थिति स्पष्ट हो सके। मौका रिपोर्ट के बिंदु संख्या 3 में अंकित है कि " **प्रार्थी की भूमि के दूसरी तरफ रिकोर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1342 है जो मौके पर बंद हो चुका है। इसलिए खसरा नम्बर 2097, 2102 व 2100 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है।** " मौका रिपोर्ट से व नक्शे का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त बंद रिकार्डेड रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खेत से लगता हुआ है या नहीं । इसके कारण विधिसंगत निर्णय लेने में कठिनाई आती है। उक्त बिंदु की अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट विवेचना नहीं की है व निर्णय पारित किया है।

मौका रिपोर्ट व साथ में संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 2100 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। लेकिन पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 2100 की न तो पत्रावली में जमाबंदी उपलब्ध है न निर्णय में खसरा नम्बर 2100 में से रास्ता दिया गया है जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट के खेत के बीच में उक्त खसरा नम्बर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटि कारित हुई है।

रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि " **अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 2097, 2102 की भूमि में से एवं "सरकारी खसरा नम्बर 215" में से रास्ता दिए जाने हेतु अनुतोष मांगा है** " जबकि मौका रिपोर्ट, निर्णय व नक्शे में इसका कहीं हवाला नहीं दिया है न ही जमाबंदी पत्रावली में है न इस संबंध में कोई विवेचना की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौडाई का रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में कोई विवेचन अथवा विशलेषण नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में अधिकतम चौडाई 30 फीट का रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान तो है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किन परिस्थितयों में 30 फीट चौडा रास्ता दिया गया है ऐसा भी कोई अंकन अपने आदेश में नहीं किया गया है। चूंकि 30 फीट चौडे रास्ते से एक खसरा लगभग पूरा ही रास्ते में जा रहा है व इससे खसरे का क्षेत्रफल भी बहुत छोटा हो जाएगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत करने में न्यायिक दृष्टिकोण से विवेचना करनी चाहिए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– **RAJASTHAN TENANCY ACT 1955-** *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

उपरोक्त विवेचनानुसार व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 90/2024(2024/254) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए समुचित विश्लेषण कर पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष दिनांक 28.05.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र) 14/05/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner